राजस्थान सरकार,
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर, राजस्थान।

क्रमांक–प.4 (IV) यंत्र/2018–19/1511–1709 दिनांकः 21.06.2018

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् ....।

विषय :– **सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन (SMAM) तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) के अन्तर्गत कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम वर्ष 2018–19 के लिए सामान्य दिशा–निर्देश।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन, तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम वर्ष 2018–19 के लिए सामान्य दिशा निर्देश निम्नानुसार होंगे :–

1 कृषक पात्रता :–

1.1 समस्त श्रेणी के कृषकों को लाभान्वित किया जावेगा। अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं, बी.पी.एल, सीमान्त, लघु एवं अर्धमध्यम कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी। **"पहले आओ पहले पाओ"** के आधार पर ऑनलाईन वरीयता के अनुसार पात्र कृषकों को अनुदान दिया जायेगा। ऐसे कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिन्हें आज तक विभाग की किसी भी योजना में कोई लाभ नहीं दिया गया हो।

1.2 विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान हेतु कृषकों को राजस्व रिकार्ड के आधार पर भूमि का स्वामित्व रखने, सामान्य या विशेष आवंटी होने या गैर खातेदार होने पर अनुदान हेतु पात्र माना जाता है। इसी प्रकार कृषक के स्वयं के नाम से भू–स्वामित्व नहीं होने की स्थिति में (कृषक के पिता के जीवित होने या मृत्यु पश्चात् नामान्तरण के अभाव में) यदि आवेदक कृषक द्वारा स्वयं के पक्ष में भू–स्वामित्व में नोशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र राजस्व/हल्का पटवारी से प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे कृषक भी अनुदान हेतु पात्र माने जायेंगे।

1.2.1 **ट्रेक्टर चलित यंत्र क्रय करने पर आवेदक के स्वयं के नाम से ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। आवेदक के स्वयं के नाम से न होकर परिवार के अन्य सदस्य के नाम से ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन होने की स्थिति में रजिस्ट्रेशन धारक का इस आशय का शपथपत्र "आवेदक मेरा भाई/बहिन/पुत्र/पुत्री/माता/पिता/पति/पत्नि है तथा यदि मेरे नाम से रजिस्टर्ड ट्रेक्टर पर उन्हें कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हम परिवार में इसी ट्रेक्टर से सम्मिलित रूप से खेती करते हैं" संलग्न करना अनिवार्य होगा।**

1.3 एक कृषक को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र (उदाहरणार्थ–सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल, प्लाउ, थ्रेसर इत्यादि) पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा। एक कृषक को एक वित्तीय वर्ष में समस्त योजनाओं में अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकेगा।

1.4 कृषकों को चिन्हित/अनुमोदित कृषि यंत्रो पर भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप निर्धारित सीमा तक अनुदान दिया जा सकता है। योजनाओं के अन्तर्गत योजनावार एवं यंत्रों की श्रेणी (युक्तिसंगत बी.एच.पी.) अनुसार देय अनुदान का विवरण परिशिष्ठ–1 पर उपलब्ध है।

1.5 कृषि आयुक्तालय द्वारा योजनावार आवंटित वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति प्राप्त की जावे। भौतिक लक्ष्यों के विरूद्ध प्रगति कम अथवा अधिक हो सकती है परन्तु किसी भी स्थिति में आवंटित वित्तीय लक्ष्यों से अधिक राशि व्यय नहीं की जावे।

2 <u>कृषि यंत्रों का क्रय</u> :–

2.1 **आपूर्ति स्त्रोत** : अधिकृत/पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता/विक्रेता से कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा।

2.2 **हस्त चलित/बैल चलित/शक्ति चलित/ट्रेक्टर चलित/स्वचलित अथवा अन्य श्रेणी के कृषि यंत्रों का क्रय** : कृषकों को उपरोक्त में से किसी भी श्रेणी का कृषि यंत्र अनुदान पर क्रय करने के लिए स्वयं के जिले के किसी भी ई–मित्र कियोस्क से ऑनलाईन आवेदन करना होगा। संबंधित जिले के सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) कार्यालय द्वारा कृषि यंत्रों के वित्तीय लक्ष्यों की सीमा में भौतिक लक्ष्य होने की स्थिति में 15 कार्य दिवसों के भीतर ऑनलाईन प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी। प्रशासनिक स्वीकृति की दिनांक से 45 दिवस के भीतर कृषक पंजीकृत आपूर्ति स्त्रोत से मोल भाव कर पूरी कीमत चुका कर कृषि यंत्र क्रय करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

2.3 संबंधित कृषक द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर 45 दिवस के भीतर क्रय किये गये यंत्र के बिल की स्कैण्ड प्रति को उसी टोकन नम्बर पर ई–मित्र के माध्यम से अपलोड करना होगा ताकि उसके आवेदन पर निर्धारित समयानुंसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव हो सके।

2.3.1 संबंधित कार्यालय में कृषक द्वारा यंत्र क्रय किये जाने की ऑनलाईन सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जायेगा। भौतिक सत्यापन के समय ही कृषक से अनुदान हेतु आवश्यक निर्धारित दस्तावेज यदि कोई शेष हो तो एकत्रित कर कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट सहित संबंधित सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) कार्यालय को पत्रावली प्रस्तुत करनी होगी।

2.4 आवेदन की दिनांक से प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने एवं कृषक द्वारा कार्य पूर्ण करने पर भौतिक सत्यापन उपरान्त अधिकतम तीन माह में बजट उपलब्धता अनुसार वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुये कृषकों को अनुदान का भुगतान ऑनलाईन/डीबीटी सुनिश्चित करना होगा।

2.5 यदि कृषक द्वारा यंत्रों का क्रय अन्य जिलों के पंजीकृत स्त्रोतों से किया गया है, तो कृषक के द्वारा उस जिले के पंजीकृत आपूर्ति स्त्रोत का प्रमाण अनुदान क्लेम के साथ प्रस्तुत करना होगा।

3 **अनुदान हेतु आवेदन एवं अनुदान क्लेम्स का निस्तारण :** कृषकों को अनुदान प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र में स्थित ई–मित्र कियोस्क पर निर्धारित/लागू शुल्क, यदि कोई हो तो, जमा करवाकर आवश्यक दस्तावेजों की स्केण्ड कॉपी सहित ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा। किसी भी जिले के कियोस्कों की सूची www.emitra.gov.in पर देखी जा सकती है। अनुदान हेतु पंजीकरण की पावती/टोकन नम्बर संबंधित कियोस्क द्वारा कृषक को दी जायेगी। सभी श्रेणी के कृषि यंत्रो पर अनुदान के लिए आवेदन पत्र पर कृषक की स्व–प्रमाणित फोटो, भूमि स्वामित्व के दस्तावेज, ट्रेक्टर के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (R.C.) की प्रति (ट्रेक्टर चलित यंत्रों के लिये अनिवार्य), ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन स्वयं के नाम से नहीं होने पर निर्धारित शपथपत्र, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड की प्रति की स्केण्ड प्रतियां लगाया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही क्रय किये जाने वाले कृषि यंत्र का नाम एवं अनुमानित कीमत दर्शानी होगी ताकि कृषक के नाम से ऑनलाईन प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा सके।

3.1 भारत सरकार के निर्देशानुसार डी.बी.टी. (डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर) योजना की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुये कृषक का आधार नम्बर/आधार कार्ड होना आवश्यक है। अपरिहार्य स्थिति में आधार नम्बर/आधार कार्ड नहीं होने पर भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत मान्य दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज की प्रति आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

3.2 उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद्/सहायक निदेशक, कृषि (वि0) कार्यालयों द्वारा प्राप्त आवेदनों को रजिस्टर में इन्द्राज कर भौतिक सत्यापन उपरान्त कृषकों को बजट की उपलब्धता के अनुरूप वरीयता के कम में निर्धारित 3 माह की अवधि में नियमानुसार अनुदान से लाभान्वित किया जायेगा।

3.3 कृषकों के अनुदान क्लेम का भुगतान उनके बैंक खाते में ऑनलाईन ही देय होगा।

3.4 कृषक प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने की दिनांक से 45 दिवस के भीतर कृषि यंत्र क्रय नहीं कर पाता है अथवा कय किये गये **यंत्र** के बिल की स्कैण्ड प्रति को उसी टोकन नम्बर पर ई–मित्र के माध्यम से अपलोड करने में विफल रहता है तो उसकी प्रशासनिक स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जाकर निचली वरीयता वाले कृषक को लाभान्वित किया जायेगा। इस प्रकार के असफल कृषकों को पुनः नये सिरे से आवेदन करना होगा।

3.5 **पंजीकृत निर्माताओं/विकेताओं को सीधे अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।**

4 **कृषि यंत्र निर्माताओं/विक्रेताओं का पंजीकरण :–**

कृषि यंत्र निर्माता/विक्रेता स्वयं की फर्म के पंजीकरण **हेतु** आवश्यक दस्तावेजों सहित किसी भी कार्य दिवस में किसी भी उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद के कार्यालय में आवेदन कर सकते है। पंजीकरण की प्रक्रिया वर्ष भर चालू रहेगी तथा पंजीकरण की वैधता अवधि 3 वर्ष तक होगी।

4.1 उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद कार्यालयों द्वारा स्वयं के स्तर पर जांच कर समस्त अर्हताओं को पूर्ण करने वाले आवेदनों का पंजीकरण तत्काल कर आवेदकों को पंजीयन पत्र देना होगा।

4.1.1 सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन (SMAM) एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) योजनाओं में कृषि यंत्रों का वर्गीकरण बी.एच.पी. के आधार पर किये जाने के कारण

पंजीकरण किये जाने वाले यंत्रों के समक्ष उनकी युक्तिसंगत बी.एच.पी. का उल्लेख आवश्यक रूप से करावें ताकि अनुदान वितरण निर्धारित श्रेणी के अनुसार किया जा सके।

4.2 राशि रू. 25,000 से अधिक की लागत के कृषि यंत्रों पर भारत सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से जारी कॉमर्शियल टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही अनुदान देय होगा। कॉमर्शियल टेस्ट रिपोर्टस् के पुराने होने तथा परीक्षण संस्थान द्वारा यंत्र के विभिन्न हिस्सों में सुधार की अनुशंषा अनुसार अनुपालना रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में सम्बन्धित निर्माताओं/अधिकृत विक्रेताओं से इस प्रकार की कॉमर्शियल टेस्ट रिपोर्टस् के सम्बन्ध में 50/- रू. के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करावें कि उनकी फर्म द्वारा टेस्ट रिपोर्ट में वर्णित सुधार की अनुशंषा अनुसार आवश्यक सुधार कर लिये गये हैं, यंत्र में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर उनकी फर्म स्वयं जिम्मेदार होगी तथा स्वयं के खर्चे पर फर्म द्वारा कृषक के यंत्र की तकनीकी समस्या को दूर किया जावेगा। इस प्रकार के शपथ पत्र के अभाव की स्थिति में ऐसी कॉमर्शियल टेस्ट रिपोर्ट्स के कृषि यंत्रों पर अनुदान नहीं दिया जावे।

4.3 राशि रू. 25,000 से कम की लागत के कृषि यंत्रों को पंजीकृत कर अनुदान देने हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार जिला स्तर पर उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद को निम्न बिन्दुओं की पालना के अधीन अधिकृत किया जाता हैः-

4.3.1 राशि रू. 25,000 से कम की लागत के कृषि यंत्रों के निर्माताओं/अधिकृत विक्रेताओं द्वारा कृषि यंत्र के स्पेसिफिकेशन/गुणवत्ता/कार्यशीलता के बारे में संतोषप्रद स्व-प्रमाणीकरण प्रस्तुत करने पर ही पंजीकरण किया जायेगा।

4.3.2 राशि रू. 25,000 से कम की लागत के कृषि यंत्रों के अन्तर्गत लैण्ड प्रीप्रेशन/सोईंग एण्ड प्लान्टिंग/इन्टर कल्टीवेशन/हारवेस्टिंग एण्ड थ्रेसिंग/ट्रांसपोर्टेशन संक्रियाओं हेतु उपयोग में लाये जाने वाले हस्त चलित, उद्यानिकी, पशुचलित/मानव चलित/ट्रेक्टर चलित उपकरण समावेशित/कवर किये जायेंगे।

4.4 कृषकों को कृषि यंत्र तथा मूवेबल थ्रेसिंग फ्लोर्स पर अनुदान उनकी कुल लागत (मशीन/उपकरण की कीमत समस्त कर/लागू जी.एस.टी. सहित) पर देय होगा।

4.5 राजस्थान राज्य से बाहर के कृषि यंत्र/मूवेबल थ्रेसिंग फ्लोर्स के निर्माताओं/विक्रेताओं का रजिस्ट्रेशन किसी भी जिले में किया जा सकेगा। इस हेतु इच्छुक निर्माता/विक्रेता को उस जिले में स्वयं के अधिकृत विक्रेता की नियुक्ति करनी होगी तथा अनुदान हेतु कृषि यंत्र/मूवेबल थ्रेसिंग फ्लोर्स का बिल राज्य/जिले में उसके अधिकृत विक्रेता के द्वारा जारी किया जायेगा।

4.6 समस्त उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदन करने वाली फर्मों के द्वारा प्रदत्त दरों का विश्लेषण कर सकेंगे तथा कॉमर्शियल टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता से बचने के लिये 25000/- से कम के बिल (वास्तविक विक्रय मूल्य से कम) अथवा अन्य जिलों में ऐसे यंत्रों की प्रचलित दरों से कम राशि के बिल प्राप्त होने पर स्वविवेक से ऐसी फर्मों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये पंजीकरण निरस्त कर सकेंगे।

4.7 "लागू जी.एस.टी. की गणना से पूर्व राशि रू. 25,000 से कम की लागत के समस्त कृषि यंत्र कॉमर्शियल टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता से मुक्त रहेगे तथा उन्हें अनुदान हेतु पात्र माना जायेगा। ऐसे कृषि यंत्रों पर अनुदान की गणना उनकी कुल प्रभावी कीमत (मय लागू जी.एस.टी.) पर की जायेगी"।

4.8 परियोजना निदेशक, सी.ए.डी. कोटा/समस्त उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद/ उप निदेशक, कृषि (वि0) ई.गा.न.प. बीकानेर कार्यालयों द्वारा भारत सरकार के निर्देशानुसार DBT/ऑनलाईन भुगतान कर लाभान्वित कृषकों की सूचना ऑनलाईन भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

4.9 भारत सरकार द्वारा कृषि प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय, उदयपुर तथा स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को राजस्थान राज्य में कृषि यंत्रों के परीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। अतः राज्य/जिलों के निर्माताओं को उनके द्वारा निर्मित सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के परीक्षण हेतु निर्देशित/प्रोत्साहित किया जावे।

5 **<u>जिला स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के कर्त्तव्य एवं दायित्व</u> :-**

कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम के उद्धेश्यपरक, गुणवत्तापूर्वक एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर निम्न प्रकार से समिति निर्धारित है :-

1	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	अध्यक्ष
2	उप निदेशक, कृषि (विस्तार), जिला परिषद	सदस्य सचिव
3	जिला प्रमुख द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि (प्रधान अथवा अन्य)	सदस्य
4	जिले के समस्त सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार)	सदस्य
5	सहायक कृषि अभियन्ता, कार्यालय खण्डीय संयुक्त निदेशक, कृषि (वि0)	सदस्य
6	अधिशाषी अभियन्ता (भू-संसाधन), ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, जिला परिषद, द्वारा मनोनीत सहायक कृषि अभियन्ता	सदस्य
7	जिले के उप/सहायक रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग अथवा उनके द्वारा मनोनीत क्रय विक्रय सहकारी समिति के प्रतिनिधि	सदस्य
8	लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार, कार्या0 उप निदेशक, कृषि (वि0), जिला परिषद्	सदस्य

<u>नोट</u> :- जयपुर खण्ड के सहायक अभियन्ता सीकर, नागौर, झुंझुनूं जिलों में, जोधपुर खण्ड के सहायक अभियन्ता गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर जिलों में, उदयपुर खण्ड के सहायक अभियन्ता जालौर, पाली तथा सिरोही जिलों में जिला स्तरीय समिति की बैठकों में भी आवश्यक रूप से भाग लेंगे।

5.1 जिला स्तरीय समिति परियोजना निर्माण, क्रियान्वयन तथा परिवीक्षण के द्वारा योजनाओं के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु उत्तरदायी होगी। समस्त उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद कार्यालय जिला स्तर पर नोडल ऐजेन्सी के रूप में निम्न कार्यों का सम्पादन करेंगे-

5.1.1 कृषि यंत्रीकरण घटकों के क्रियान्वयन हेतु सीमान्त एवं लघु जोतों की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों/कम फार्म पावर उपलब्धता वाले क्षेत्रों का चिन्हिकरण करना।

5.1.2 कृषि यंत्र अनुदान वितरण योजनाओं हेतु लाभार्थियों (कृषकों, स्वयं सहायता समूहों, उपयोगकर्ता समूहों, सहकारी समितियों, कृषक उत्पादक संस्थानों एवं उद्यमियों) का चयन कर पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से लाभान्वित करना। कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु उद्यमियों एवं स्वयं सहायता समूहों को चिन्हित करना।

5.1.3 लाभार्थियों के ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये बैंकों से समन्वय स्थापित करना।

5.1.4 यह सुनिश्चित करना कि कृषि एवं सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं यथा RKVY, MIDH, NFSM आदि के अन्तर्गत देय लाभ की पुनरावृत्ति समान लाभार्थी को ना हो।

5.1.5 कृषि यंत्रीकरण के विभिन्न घटकों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को सम्मिलित करते हुये जिले की वार्षिक कार्य योजना का निर्माण किया जाना।

5.1.6 लाभार्थी को चिन्हित एवं चयनित करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किये जाने तथा निर्धारित प्रावधानों/मापदण्डों के आधार पर उपकरण/आदान के क्रय के प्रमाण के आधार पर आवेदनों पर की गई कार्यवाही तथा लाभार्थियों को जारी वित्तीय सहायता की समय-समय पर समीक्षा करना।

5.1.7 कार्यक्रम/योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य के नोडल विभाग से बजट/राशि प्राप्त करना।

5.1.8 जिले में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में आधार (ADHAR) नम्बर के आधार पर कृषक/लाभार्थी को वित्तीय सहायता का सीधे हस्तान्तरण किये जाने का प्रयास करना।

5.1.9 अनुमोदित कार्यक्रमों, क्रियान्वित की गई गतिविधियों, लाभार्थियों के नाम तथा व्यय की गई राशि आदि के विवरण को कलस्टर/ग्राम स्तर पर पंचायत भवन/सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित किया जाना तथा इन्हें वार्षिक रूप से सम्बन्धित ग्राम सभा को सामाजिक अंकेक्षण के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाना।

5.1.10 कार्यक्रमों क्रियान्वयन पश्चात् उत्पादन एवं उत्पादकता पर हुये प्रभाव का अध्ययन करना तथा स्टेट नोडल डिपार्टमेन्ट को प्रतिवेदन प्रेषित करना।

6 <u>गुणवत्ता आंकलन</u> :-

6.1 खण्डीय सहायक कृषि अभियन्ता खण्ड के जिलों में पंजीकृत फर्मों के कृषि यंत्रों की गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन्स का समय-समय पर आंकलन करेगे।

6.2 सम्बन्धित उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद एवं खण्डीय सहायक कृषि अभियन्ता जिले में निर्माताओं द्वारा निर्मित उन्नत एवं गुणवत्तापूर्ण कृषि यंत्र निर्माण परिसर का औचक निरीक्षण कर सकेंगे।

6.3 पंजीकृत निर्माता/विक्रेता द्वारा आपूर्ति किये गये कृषि यंत्रों के निम्न कोटि के पाये जाने पर निर्माता/विक्रेता का पंजीयन निरस्त करने हेतु संबंधित जिले के उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद, अधिकृत होगे।

7 <u>अन्य सामान्य निर्देश</u> :-

7.1 राज्य के किसी एक जिले में पंजीकरण के आधार पर निर्माता/विक्रेता द्वारा आपूर्तित यंत्रों पर अन्य जिलों में भी अनुदान दिया जा सकता है परन्तु स्थानीय कृषि यंत्र निर्माता/विक्रेता को स्वयं के जिले के उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद् कार्यालय में पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकृत निर्माताओं/विक्रेताओं की अद्यतन सूची को विस्तृत विवरण सहित जिला कार्यालयों द्वारा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराना आवश्यक होगा। पंजीकृत निर्माता/विक्रेता स्वयं भी फार्मर्स पोर्टल www.farmer.gov.in पर अपना विवरण आवश्यक रूप से अपलोड/अपडेट करेंगे।

7.2 जिलों में कृषि मेलों के आयोजन के समय उन्नत कृषि यंत्रों का कृषकों के समक्ष प्रदर्शन किया जावे।

7.3 वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद खण्डीय संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) कार्यालय द्वारा अनुदान पर वितरित कृषि यंत्रों का रेण्डम आधार पर न्यूनतम 5 प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

7.4 अनुदानित यंत्रों के प्रमुख स्थान पर बड़े व पठनीय अक्षरों में **"कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2018–19 में अनुदानित"** का अंकन पेन्ट द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

7.5 अन्य उपयोगी उन्नत एवं नवीन कृषि यंत्रों का विशेष प्रचार–प्रसार कर उपयोग हेतु कृषकों को प्रेरित किया जावे।

7.6 मुख्यालय द्वारा भारत सरकार से योजनावार प्रावधानों की स्वीकृति अनुसार योजनावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों से अवगत करा दिया जायेगा। जिलेवार निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करावे तथा प्रगति से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक आयुक्तालय को आवश्यक रूप से सूचित करावे।

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त, कृषि

क्रमांक–प.4 (IV) यंत्र/2018–19/ 1511–1709
दिनांक: 21-6-2018

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त...।
4. समस्त जिला कलेक्टर..।
5. निदेशक, अनुसंधान, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।
6. डीन, कृषि प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय, उदयपुर।
7. निदेशक, अनुसंधान, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
8. निदेशक (रा.कृ.प्रबंध संस्थान/आत्मा समेति) दुर्गापुरा, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक, कृषि (आदान/विस्तार/अनुसंधान/समन्वय/एन.एम.ओ.ओ.पी.), मुख्यालय, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक, कृषि (योजना/आईसोपॉम/आदान/प्र0एवंमू0/पौ0सं0/एटीसी/ज0उ0प्र0/गु0नि0/रसायन/विस्तार/आर.के.वी.वाई/फसलबीमा/एन.एफ.एस.एम.(तिलहन)/जी.पी.आर.टी.एल.), मुख्यालय जयपुर।
11. मुख्य सांख्यिकी अधिकारी, मुख्यालय जयपुर।
12. समस्त खंडीय संयुक्त निदेशक, कृषि (वि0/तिलहन)..।
13. परियोजना निदेशक, कृषि (विस्तार) सी.ए.डी. कोटा।
14. उप निदेशक, कृषि (विस्तार/बीज/सूचना/सांख्यिकी/योजना/रसायन/एसीपी/गु0नि0/ए.टी.सी), मु0 जयपुर।
15. समस्त उप निदेशक, कृषि (विस्तार), जिला परिषद/ईगानप, बीकानेर..।
16. समस्त सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार),...।
17. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना शाखा, मुख्यालय, जयपुर।
18. किसान कॉल सेन्टर, कृषि निदेशालय, जयपुर।
19. अध्यक्ष, एग्रीकल्चर ईक्विपमेण्ट मैन्यूफेक्चिरिंग सोसाईटी, जयपुर।
20. आरक्षी पत्रावली।

(एस. एम. शकील)
उप निदेशक कृषि (अभि0)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन) अन्तर्गत कृषि यंत्रों पर देय अनुदान

क्र. स.	यंत्रवार श्रेणी एवं कृषि यंत्रो के नाम	अनुदान दर	
		अनु. जाति/अनु. जनजाति, लघु/सीमान्त एवं महिला कृषकों के लिए	अन्य श्रेणी के कृषकों के लिए
1	हस्त चलित फर्टिलाईजर ब्रोडकास्टर, वीडर, ग्राउन्ड नट डिकोर्टिकेटर एवं केस्टर शेलर।	50% अधिकतम रू. 10,000/–	40% अधिकतम रू. 8000/–
2	बैल चलित सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल, बन्ड फार्मर, कल्टीवेटर, एम. बी. /रिजर प्लाऊ, 2/3 रो सीड ड्रिल, ब्लेड/डिस्क हैरो, ग्राउन्ड नट डिगर/प्लान्टर, वीडर, मेज प्लान्टर, पैडल सन फ्लावर थ्रेसर।	50% अधिकतम रू. 10,000/–	40% अधिकतम रू. 8000/–
3	शक्ति/ट्रैक्टर चलित मल्टीक्रोप पावर थ्रेसर मय सुरक्षा उपकरण, सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल, सीड ड्रिल, डिस्क प्लाउ/हैरो, बन्ड फार्मर, जीरो टिल सीड ड्रिल, रोटावेटर,मल्टी क्रोप प्लान्टर,जीरो टिल मल्टीक्रोप प्लान्टर, रिज फरो प्लान्टर, रेज्ड बेड प्लान्टर, पॉवर वीडर, ग्राउन्ड नट डिगर एवं मेज शेलर।	SMAM योजना के अनुरूप अनुदान देय होगा	SMAM योजना के अनुरूप अनुदान देय होगा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (गेहूं) अन्तर्गत कृषि यंत्रों पर देय अनुदान

क्र. सं	कृषि यंत्रो के नाम	20 बी.एच.पी. से कम के ट्रेक्टर से चलित		20–35 तक की बी.एच.पी. के ट्रेक्टर से चलित		35 बी.एच.पी. से अधिक के ट्रेक्टर से चलित	
		अनु. जाति/अनु. जनजाति, लघु/सीमान्त एवं महिला कृषकों के लिए	अन्य श्रेणी के कृषकों के लिए	अनु. जाति/अनु. जनजाति, लघु/सीमान्त एवं महिला कृषकों के लिए	अन्य श्रेणी के कृषकों के लिए	अनु. जाति/अनु. जनजाति, लघु/सीमान्त एवं महिला कृषकों के लिए	अन्य श्रेणी के कृषकों के लिए
1.	रोटावेटर/टर्बोसीडर	मूल्य का 50 % अधिकतम रू. 35,000	मूल्य का 40 % अधिकतम रू. 28,000	मूल्य का 50 % अधिकतम रू. 44,000	मूल्य का 40 % अधिकतम रू. 35,000	–	–
2.	मल्टीक्रोप थ्रेसर	मूल्य का 50 % अधिकतम रू. 20,000	मूल्य का 40 % अधिकतम रू. 16,000	मूल्य का 50 % अधिकतम रू. 25,000	मूल्य का 40 % अधिकतम रू. 20,000	मूल्य का 50 % अधिकतम रू. 63,000	मूल्य का 40 % अधिकतम रू. 50,000

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) अन्तर्गत कृषि यंत्रों पर देय अनुदान

क्र. सं	कृषि यंत्रों के नाम	20 बी.एच.पी. से कम के ट्रेक्टर से चलित		20–35 तक की बी.एच.पी. के ट्रेक्टर से चलित		35 बी.एच.पी. से अधिक के ट्रेक्टर से चलित	
		अनु. जाति/अनु. जनजाति, लघु/सीमान्त एवं महिला कृषकों के लिए	अन्य श्रेणी के कृषकों के लिए	अनु. जाति/अनु. जनजाति, लघु/सीमान्त एवं महिला कृषकों के लिए	अन्य श्रेणी के कृषकों के लिए	अनु. जाति/अनु. जनजाति, लघु/सीमान्त एवं महिला कृषकों के लिए	अन्य श्रेणी के कृषकों के लिए
1.	सीड ड्रिल/सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल	मूल्य का 50 % अधिकतम रू. 15,000	मूल्य का 40 % अधिकतम रू 12,000	मूल्य का 50 % अधिकतम रू. 19,000	मूल्य का 40 % अधिकतम रू 15,000	मूल्य का 50 % अधिकतम रू. 44,000	मूल्य का 40 % अधिकतम रू 35,000
2.	रोटावेटर/टर्बोसीडर	मूल्य का 50 % अधिकतम रू. 35,000	मूल्य का 40 % अधिकतम रू 28,000	मूल्य का 50 % अधिकतम रू. 44,000	मूल्य का 40 % अधिकतम रू. 35,000	–	–
3.	मल्टीक्रोप थ्रेसर	मूल्य का 50 % अधिकतम रू. 20,000	मूल्य का 40 % अधिकतम रू.16,000	मूल्य का 50 % अधिकतम रू. 25,000	मूल्य का 40 % अधिकतम रू. 20,000	मूल्य का 50 % अधिकतम रू. 63,000	मूल्य का 40 % अधिकतम रू 50,000
4.	स्पाईरल सीड ग्रेडर	मूल्य का 50% अथवा अधिकतम रू. 1,750 दोनों में से जो भी कम हो					
5.	मूवेबल थ्रेसिंग फ्लोर	मूल्य का 50% अथवा अधिकतम रू. 1,500 दोनों में से जो भी कम हो					
6.	10 एच.पी./7.5 किलोवाट के पम्पसेट	मूल्य का 50 अधिकतम रू. 10,000					

नोटः– 1 आई. एस. आई. मार्का के उपलब्ध कृषि यंत्रों को प्राथमिकता दी जावेगी।

2 मल्टीक्रोप पावर/ट्रैक्टर चलित थ्रेसर केवल आई. एस .आई. मार्का ही वितरित किये जा सकेंगें। थ्रेसरों के लिए पृथक से कॉमर्शियल टेस्ट रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है।

3 थ्रेसर निर्माता/विक्रेता का खतरनाक मशीन अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत पंजीकरण आवश्यक है।

सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन के अन्तर्गत स्वीकृत कृषि यंत्र/उपकरण एवं देय अनुदान

क्र0 सं0	श्रेणवार यंत्र/मशीनरी का नाम	प्रति उपकरण/प्रति लाभार्थी अधिकतम देय अनुदान	
		एस.सी./एस.टी. लघु, सीमांत एवं महिला कृषकों के लिए	अन्य कृषकों के लिए
1	पावर टिलर (Power Tillers)		
	(i) पावर टिलर (8 बीएचपी से कम)	50% अधिकतम रू. 50,000/–	40% अधिकतम रू. 40,000/–
	(ii) पावर टिलर (8 बीएचपी एवं अधिक)	50% अधिकतम रू. 75,000/–	40% अधिकतम रू. 60,000/–
2	राइस ट्रांसप्लांटर (Rice Transplanter)		
	(i) स्वचलित राइस ट्रांसप्लांटर - 4 कतार (4 Rows)	50% अधिकतम रू 94,000/–	40% अधिकतम रू. 75,000/–
	(ii) स्वचलित राइस ट्रांसप्लांटर – 4 कतार से अधिक से 8 कतार तक (Above 4 Rows - 8 Rows) (iii) स्वचलित राइस ट्रांसप्लांटर - 8 कतार से अधिक से 16 कतार तक (Above 8 Rows - 16 Rows)	40% अधिकतम रू 2,00,000/–	40% अधिकतम रू.2,00,000/–
3	स्वचलित यंत्र(Self Propelled Machinery)		
	रीपर कम बाईन्डर	50% अधिकतम रू1,25,000/–	40% अधिकतम रू.1,00,000/–
4	विशिष्टिकृत स्वचलित यंत्र (Specialized Self Propelled Machinery)		
	रीपर, पोस्ट होल डिगर/ऑगर, न्यूमेटिक/अन्य प्लान्टर।	50% अधिकतम रू 63,000/–	40% अधिकतम रू. 50,000/–
5	स्वचलित उद्यानिकी यंत्र (Self Propelled Horticultural Machinery)		
	फ्रूट प्लकर, ट्री प्रूनरस, फ्रूट हार्वेस्टर, फ्रूट ग्रेडरस, ट्रेक ट्रोली, नर्सरी मिडिया फिलिंग मशीन, मल्टी परपज हाइड्रॉलिक सिस्टम, पावर ऑपरेटेड हार्टीकल्चर टूल्स फार प्रूनिंग, बडिंग, ग्रेटिंग, शियरिंग आदि।	50% अधिकतम रू1,25,000/–	40% अधिकतम रू.1,00,000/–
6	ट्रेक्टर/ पावर टिलर (20 बीएचपी से कम) द्वारा चलित उपकरण (Tractor/Power Tiller (below 20 BHP) Driven Equipments)		
	<u>(अ) भूमि सुधार, जुताई एंव सीड बैड प्रिपरेशन उपकरण (Land Development, Tillage and Seed Bed Preparation Equipments)</u> (i) एम.बी.प्लाऊ, डिस्क प्लाउ, कल्टीवेटर, हैरो, लेवलर ब्लेड, केज व्हील, फरो ओपनर, रिजर, वीड स्लेशर, लेजर लेण्ड लेवलर, रिवर्सिबल मेकेनिकल प्लाऊ।	50% अधिकतम रू. 15,000/–	40% अधिकतम रू 12,000/–
	(ii) रोटावेटर, रोटोपडलर, रिवर्सिबल हाईड्रॉलिक प्लाऊ, फरो ओपनर, बन्ड फार्मर, क्रस्ट ब्रेकर, रोटोकल्टीवेटर, पावर हेरो	50% अधिकतम रू. 35,000/–	40% अधिकतम रू. 28,000/–
	(iii) चीज़ल प्लाऊ	50% अधिकतम रू. 8,000/–	40% अधिकतम रू. 6,000/–
	<u>(ब)बुवाई, रोपण, कटाई एंव खुदाई उपकरण (Sowing Planting, Reaping and Digging Equipments)</u> (i) पोस्ट होल डिगर, पोटेटो प्लान्टर, पोटेटो डिगर, ग्राउन्ड नट	50% अधिकतम रू. 15,000/–	40% अधिकतम रू. 12,000/–

	डिगर, स्ट्रिप टिल ड्रिल, ट्रेक्टर ड्रान रीपर, ओनियन हॉरवेस्टर, राईस स्ट्रॉ चॉपर, जीरो टिल सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल, रेज्ड बेड प्लान्टर, शुगरकेन कटर/स्ट्रीपर, प्लान्टर, सीड ड्रिल, मल्टी क्रोप प्लान्टर, जिरो टिल मल्टीक्रोप प्लान्टर, रिज फरो प्लान्टर		
	(ii) टर्बो सीडर, न्यूमेटिक प्लान्टर, न्यूमेटिक वेजीटेबल ट्रांसप्लांटर, न्यूमेटिक वेजीटेबल सीडर, हैप्पी सीडर, प्लास्टिक मल्च लेईग मशीन, सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल, एक्वा फर्टी सीड ड्रिल, रेज्ड बेड प्लान्टर विद इन्क्लाइन्ड प्लेट प्लान्टर एण्ड शेपर अटेचमेन्ट, मल्चर, सीड ट्रीटिंग ड्रम।	50% अधिकतम रू. 35,000/–	40% अधिकतम रू. 28,000/–
	(स) इंटर कल्टीवेशन उपकरण(Inter Cultivation Equipments) ग्रास वीड स्लेशर, राइस स्ट्रा चॉपर, पावर वीडर (2 बीएचपी से कम ईंजन द्वारा चलित)	50% अधिकतम रू. 15,000/–	40% अधिकतम रू. 12,000/–
	(द)अवशिष्ट प्रबंघन हेतु उपकरण/हे एण्ड फॉरेज उपकरण (Equipments for Residue Management/ Hay & Forrage Equipments) शुगरकेन थ्रेश कटर, कोकोनट फ्रोन्ड चोपर, रेक, बेलर्स, स्ट्रा रीपर, फीड ब्लॉक मशीन, स्टबल शेवर	50% अधिकतम रू. 15,000/–	40% अधिकतम रू. 12,000/–
	(य) कटाई एवं गहाई उपकरण(3hp hसे कम क्षमता के इंजन/ विद्युत मोटर तथा पॉवर टिलर और 20 BHP ट्रेक्टर से कम क्षमता के ट्रेक्टर द्वारा चलित) (Harvesting & Threshing Equipments- Operated by engine/electric motor below 3hp and by Power Tiller and Tractor of below 20 BHP tractor) ग्राउन्ड नट पोड स्ट्रीपर, थ्रेसर, मल्टी कोप थ्रेसर, पेडी थ्रेसर, ब्रश कटर, विनोइन्ग फेन, मेज शेलर, स्पाईरल ग्रेडर, रीपर, मोवर, फ्लेल हार्वेस्टर, इनफिल्डर, मोवर श्रेडर (समस्त फसलों/समस्त उद्देश्यों हेतु)।	50% अधिकतम रू. 20,000/–	40% अधिकतम रू 16,000/–
	(र) चॉफ कटर (Chaff Cutter) (3 hp से कम क्षमता के इंजन/विद्युत मोटर तथा पॉवर टिलर और 20 BHP ट्रेक्टर से कम क्षमता के ट्रेक्टर द्वारा चलित)	50% अधिकतम रू. 20,000/–	40% अधिकतम रू 16,000/–
7	ट्रेक्टर (20 बीएचपी से अधिक से 35 बीएचपी तक) चलित उपकरण (Tractor (Above 20 - 35BHP) Driven Equipments)		
	(अ) भूमि सुधार, जुताई एंव सीड बैड प्रिपरेशन उपकरण (Land Development, Tillage & Seed Bed Preparation Equipments) (i) एम.बी.प्लाऊ,डिस्क प्लाउ, कल्टीवेटर, हैरो, लेवलर ब्लेड, केज व्हील, फरो ओपनर, रिजर, वीड स्लेशर, लेजर लेण्ड लेवलर, रिवर्सिबल मेकेनिकल प्लाऊ।	50% अधिकतम रू. 19,000/–	40% अधिकतम रू. 15,000/–
	(ii) रोटावेटर, रोटोपडलर, रिवर्सिबल हाइड्रॉलिक प्लाऊ, फरो ओपनर, बन्ड फार्मर, क्रस्ट ब्रेकर, रोटोकल्टीवेटर, पावर हेरो	50% अधिकतम रू. 44,000/–	40% अधिकतम रू. 35,000/–
	(iii) चीज़ल प्लाऊ	50% अधिकतम रू. 10,000/–	40% अधिकतम रू. 8,000/–
	(ब) बुवाई,रोपण,कटाई एंव खुदाई उपकरण (Sowing Planting, Reaping and Digging Equipments) (i) पोस्ट होल डिगर, पोटेटो प्लान्टर, पोटेटो डिगर, ग्राउन्ड नट डिगर, स्ट्रिप टिल ड्रिल, ट्रेक्टर ड्रान रीपर, ओनियन हॉरवेस्टर, राइस स्ट्रा चॉपर, जीरो टिल सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल, रेज्ड बेड प्लान्टर, शुगर केन कटर/स्ट्रीपर, मल्टी क्रोप प्लान्टर,जिरो टिल, मल्टीक्रोप प्लान्टर, सीड ड्रिल, रिज फरो प्लान्टर, सीड	50% अधिकतम रू. 19,000/–	40% अधिकतम रू. 15,000/–

	ट्रीटिंग ड्रम, सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल।		
	(ii) टर्बो सीडर, न्यूमेटिक प्लान्टर, न्यूमेटिक वेजीटेबल ट्रांसप्लांटर, न्यूमेटिक वेजीटेबल सीडर, हैप्पी सीडर, प्लास्टिक मल्च लेईंग मशीन, एक्वा फर्टी सीड ड्रिल, रेज्ड बेड प्लान्टर विद इन्क्लाइन्ड प्लेट प्लान्टर एण्ड शेपर अटेचमेन्ट, मल्चर।	50% अधिकतम रू. 44,000/-	40% अधिकतम रू. 35,000/-
	(स) **इंटर कल्टीवेशन उपकरण (Inter Cultivation Equipments)** ग्रास वीड स्लेशर, राइस स्ट्रा चॉपर, पावर वीडर (2बीएचपी से अधिक ईजन चलित)	50% अधिकतम रू. 19,000/-	40% अधिकतम रू. 15,000/-
	(द)**अवशिष्ट प्रबंधन हेतु उपकरण/हे एण्ड फॉरेज उपकरण (Equipments for Residue Management/ Hay & Forrage Equipments)** शुगर केन थ्रेश कटर, कोकोनट फ्रोन्ड चोपर, रेक, बेलर्स, स्ट्रा रीपर फीड ब्लॉक मशीन, स्टबल शेवर	50% अधिकतम रू. 19,000/-	40% अधिकतम रू. 15,000/-
	(य) **कटाई एवं गहाई उपकरण (5hp hpसे कम क्षमता के इंजन/ विद्युत मोटर चलित तथा पॉवर टिलर एंव 35 BHP ट्रेक्टर से कम क्षमता के ट्रेक्टर द्वारा चलित) Harvesting & Threshing Equipments- (Operated by engine/electric motor below 5hp and by Power Tiller and Tractor of below 35 BHP tractor)** ग्राउन्ड नट पोड स्ट्रीपर, थ्रेसर, मल्टी क्रोप थ्रेसर, पेडी थ्रेसर, ब्रश कटर, मेज शेलर, स्पाईरल ग्रेडर, रीपर, मोवर, फ्लेल हार्वेस्टर, इनफिल्डर, मोवर श्रेडर (समस्त फसलों/समस्त उद्देश्यों हेतु)।	50% अधिकतम रू. 25,000/-	40% अधिकतम रू. 20,000/-
	(र) चॉफ कटर (3hp से अधिक से 5 hp क्षमता तक के इंजन/विद्युत मोटर द्वारा चलित तथा पॉवर टिलर तथा 35 BHP ट्रेक्टर से कम क्षमता के ट्रेक्टर द्वारा चलित)	50% अधिकतम रू. 25,000/-	40% अधिकतम रू 20,000/-
8	**ट्रैक्टर (35 बीएचपी से अधिक) द्वारा चलित उपकरण (Tractor (Above 35BHP) Driven Equipments)**		
	(अ) **भूमि सुधार , जुताई एंव सीड बैड प्रिपरेशन उपकरण (Land Development, Tillage & Seed Bed Preparation Equipments)** (i) एम.बी.प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ, कल्टीवेटर, हैरो, लेवलर ब्लेड, केज व्हील, फरो ओपनर, रिजर, रिवर्सिबल मेकेनिकल प्लाऊ।	50% अधिकतम रू. 44,000/-	40% अधिकतम रू. 35,000/-
	(ii) वीड स्लेशर, लेजर लेण्ड लेवलर, रोटावेटर, रोटोपडलर, रिवर्सिबल हाईड्रॉलिक प्लाऊ, सब सॉयलर, ट्रेन्च मेकर (पीटीओ ऑपरेटेड), बन्ड फॉरमर (पीटीओ ऑपरेटेड), पॉवर हैरो (पीटीओ ऑपरेटेड), बेकहो लोडर डोजर (ट्रेक्टर ऑपरेटेड), फरो ओपनर, बन्ड फार्मर, क्रस्ट ब्रेकर, रोटोकल्टीवेटर, पावर हेरो।	50% अधिकतम रू. 63,000/-	40% अधिकतम रू. 50,000/-
	(ब) **बुवाई, रोपण, कटाई एंव खुदाई उपकरण (Sowing and Planting Equipments)** (i) जीरो टिल सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल, रेज्ड बेड प्लान्टर, सीड ड्रिल, पोटेटो डिगर, ट्रेक्टर ड्रान रीपर, ओनियन हार्वेस्टर, सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल, सीड ट्रीटिंग ड्रम,	50% अधिकतम रू. 44,000/-	40% अधिकतम रू. 35,000/-
	(ii) पोस्ट होल डिगर, पोटेटो प्लान्टर, ग्राउन्ड नट डिगर, स्ट्रिप टिल ड्रिल, राइस स्ट्रॉ चोपर, शुगर केन कटर/स्ट्रीपर/प्लान्टर, मल्टी क्रोप प्लान्टर, जिरो टिल मल्टी क्रोप प्लान्टर, रिज फरो प्लान्टर, टर्बो सीडर, न्यूमेटिक प्लान्टर, न्यूमेटिक वेजीटेबल ट्रांसप्लांटर, न्यूमेटिक वेजीटेबल सीडर, हैप्पी सीडर, कसावा प्लान्टर, मेन्योर (manure) स्प्रेडर, फर्टीलाईजर स्प्रेडर – पीटीओ	50% अधिकतम रू. 63,000/-	40% अधिकतम रू. 50,000/-

	ऑपरेटेड, प्लास्टिक मल्च लेईंग मशीन, ऑटोमेटिक राइस नर्सरी सोईंग मशीनरी, एक्वा फर्टी सीड ड्रिल, रेज्ड बेड प्लान्टर विद इन्क्लाइन्ड प्लेट प्लान्टर एण्ड शेपर अटेचमेन्ट, मल्चर।		
	(स) इंटर कल्टीवेशन उपकरण(Inter Cultivation Equipments) ग्रास/वीड स्लेशर, राईस स्ट्रा चॉपर, वीडर (पीटीओ ऑपरेटेड) ।	50% अधिकतम रू. 63,000/–	40% अधिकतम रू. 50,000/–
	(द) कटाई एवं गहाई उपकरण (5 hp hp से अधिक क्षमता के इंजन/ विद्युत मोटर द्वारा चलित तथा 35 BHP ट्रेक्टर से अधिक क्षमता के ट्रेक्टर द्वारा चलित) Harvesting & Threshing Equipments-(Operated by engine / electric motor above 5 hp and by Tractor of above 35 BHP tractor) ग्राउन्ड नट पोड स्ट्रीपर, थ्रेसर/मल्टी क्रोप थ्रेसर, पेडी थ्रेसर, चाफ कटर, फोरेज हार्वेस्टर, बर्ड स्केरर, मेज शेलर, स्पाईरल ग्रेडर, रीपर, मोवर, फ्लेल हार्वेस्टर, इनफिल्डर, मोवर श्रेडर (समस्त फसलों/समस्त उद्देश्यों हेतु)।	50% अधिकतम रू. 63,000/–	40% अधिकतम रू. 50,000/–
	(य) अवशिष्ट प्रबंघन हेतु उपकरण/ हे एण्ड फॉरेज उपकरण (Equipments for Residue Management/ Hay & Forrage Equipments) शुगर केन थ्रेश कटर, कोकोनट फ्रोन्ड चोपर, हे रेक, बेलर्स (राउन्ड), बेलर (रेकटेन्गुलर), वुड चीपर्स, शुगर केन रेटून मैनेजर, कॉटन स्टाल्क अपरुटर, स्ट्रा रीपर, फीड ब्लॉक मशीन, स्टबल शेवर।	50% अधिकतम रू. 63,000/–	40% अधिकतम रू. 50,000/–
9.	हस्त/पशु चलित कृषि यंत्र/उपकरण (All Manual/ Animal Drawn Equipments/Implements)		
	(अ) भूमि सुधार , जुताई एंव सीड बैड प्रिपरेशन उपकरण (Land Development, Tillage & Seed Bed Preparation Equipments) एम.बी.प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ, कल्टीवेटर, हेरो, लेवलर ब्लेड, फरो ओपनर, रिजर ,पडलर।	50% अधिकतम रू. 10,000/–	40% अधिकतम रू 8,000/–
	(ब) बुवाई एंव रोपण उपकरण (Sowing Planting, Reaping and Digging Equipments) (i) पेडी प्लान्टर, सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल, रेज्ड बेड प्लान्टर, प्लान्टर, डिबलर, इक्विपमेन्ट्स फॉर रेजिंग पैडी नर्सरी, मार्कर फॉर एस.आर.आई., सीड ट्रीटिंग ड्रम।	50% अधिकतम रू. 10,000/–	40% अधिकतम रू 8,000/–
	(ii) ड्रम सीडर (4 कतार से कम)	50% अधिकतम रू. 1,500/–	40% अधिकतम रू 1,200/–
	(iii) ड्रम सीडर (4 कतार से अधिक)	50% अधिकतम रू. 1,900/–	40% अधिकतम रू 1,500/–
	(स) कटाई एंव गहाई उपकरण (Harvesting & Threshing Equipments) (i) ग्राउन्ड नट पोड स्ट्रीपर, थ्रेसर, विनोइंग फेन, ट्री क्लाईम्बर, हॉर्टीकल्चर हेण्ड टूल्स, मेज शैलर, फीड ब्लॉक मशीन, स्पाईरल ग्रेडर ।	50% अधिकतम रू. 10,000/–	40% अधिकतम रू 8,000/–
	(ii) चॉफ कटर (3 फीट तक)	50% अधिकतम रू. 5,000/–	40% अधिकतम रू 4,000/–
	(iii) चॉफ कटर (3 फीट से अधिक)	50% अधिकतम रू. 6,300/–	40% अधिकतम रू 5,000/–
	(द) इंटर कल्टीवेशन उपकरण(Inter Cultivation Equipments) ग्रास वीड स्लेशर, वीडर, कोनो वीडर, गार्डन हेन्ड टूल्स।	50% अधिकतम रू. 600/–	40% अधिकतम रू 500/–

10.	उद्यानिकी/पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेन्ट्स (Horticulture/Post Harvest Technology Equipments)		
	(अ) मेन्युअल हार्टीकल्चरल इक्विपमेन्ट(Manual Horticultural Equipments))		
	(i) एल्युमिनियम लेडर/लेडर	50% अधिकतम रू.10,000/–	40% अधिकतम रू. 8,000/–
	(ii) एल्युमिनियम का पोल		
	(iii) प्लकर		
	(ब) स्वचालित/अन्य शक्ति चलित उद्यानिकी मशीनरी (Self Propelled/Other Power Driven Horticultural Equipments)		
	(i)चेन सा/व्हील बरो/मेंगो ग्रेडर/प्लान्टर तथा उद्यानिकी फसलों हेतु अन्य उपयुक्त स्वचालित मशीनरी एवं उपकरण	50% अधिकतम रू. 63,000/–	40% अधिकतम रू. 50,000/–
	(स) खाद्यान, ऑयल सीड हेतु फसल कटाई उपरान्त उपकरण तथा अन्य उद्यानिकी उपकरण (Post Harvest Equipments for Food Grains, OilSeeds and Horticultural Equipments)		
	प्राथमिक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण के लिये फसल कटाई उपरान्त प्रौद्योगिकियों की इकाई की स्थापना मूल्य संवर्धन कम लागत के वैज्ञानिक भण्डारण, पैकेजिंग इकाईयाँ तथा प्रोडक्शन केचमेट में बाय–प्रोडक्ट के प्रबंधन हेतु प्रोद्योगिकियाँ	60% अधिकतम रू 1,60,000/–	50% अधिकतम रू1,50,000/–
	(i) मिनि राइस मिल	60% अधिकतम रू1,50,000/–	50% अधिकतम रू1,25,000/–
	(ii) मिनि दाल मिल		
	(iii) मिलेट मिल		
	(iv) ऑयलमिल विथ फिल्टर प्रेस (सभी प्रकार के उद्यानिकी/खाद्यान/ऑयल सीड फसलों हेतु)		
	(v) एक्सट्रेक्टर (सभी प्रकार के उद्यानिकी/खाद्यान/ऑयल सीड फसलों हेतु)		
	(vi) पोमग्रेनेट एरिल एक्सट्रेक्टर		
	vii) कस्टर्ड एपल पल्पर (सभी प्रकार के उद्यानिकी/खाद्यान / ऑयल सीड फसलों हेतु) (viii) डीहाइड्रेशन इकाई/प्रिकिंग मशीन/हयुमिडिफायर (सभी प्रकार के उद्यानिकी/खाद्यान/ऑयल सीड फसलों हेतु) (ix) पेकैजिंग मशीन (सभी प्रकार के उद्यानिकी/ खाद्यान/ऑयल सीड फसलों हेतु)		
	(x) समस्त प्रकार के शक्तिचलित डिहस्कर/शैलर/थ्रेसर/ हारवेस्टर/डी–स्पाईकिंग/डीकोनिग मशीन/ पीलर/स्पिल्टर /स्ट्रिपर (सभी प्रकार के उद्यानिकी /खाद्यान/ऑयल सीड फसलों हेतु)	50% अधिकतम रू. 63,000/–	40% अधिकत रू. 50,000/–
	(xi) समस्त प्रकार के बॉयलर/स्टीमर/ सोलरड्रायर (सभी प्रकार के उद्यानिकी/खाद्यान/ऑयल सीड फसलों हेतु)	50% अधिकतम रू. 63,000/–	40% अधिकतम रू. 50,000/–
	(xii) समस्त प्रकार की वाशिंग मशीन (सभी प्रकार के उद्यानिकी/खाद्यान/ऑयल सीड फसलों हेतु)	50% अधिकतम रू. 44,000/–	40% अधिकतम रू. 35,000/–
	xiii) समस्त प्रकार के ग्राईण्डर/पल्वराईजर/पोलिशर (सभी प्रकार की उद्यानिकी/खाद्यान/ऑयल सीड फसलों हेतु)		
	(xiv)समस्त प्रकार के क्लीनर कम ग्रेडर/ग्रेडियंट सेपरेटर/ स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर (समस्त प्रकार के उद्यानिकी/खाद्यान/ ऑयलसीड फसलों हेतु)		

11.	पौध संरक्षण उपकरण (**Plant Protection Equipments**)		
	(a) मेन्युअल स्प्रेयर – नेपसेक/फुट ऑपरेटेड स्प्रेयर	50% अधिकतम रू. 600/–	40% अधिकतम रू. 500/–
	(b) शक्ति चलित नेपसेक स्प्रेयर/पावर ऑपरेटेड ताइवान स्प्रेयर (क्षमता 8 से 12 लीटर)	50% अधिकतम रू. 3,100/–	40% अधिकतम रू. 2,500/–
	(c) शक्ति चलित नेपसेक स्प्रेयर/पावर ऑपरेटेड ताइवान स्प्रेयर (क्षमता 12 लीटर से अधिक से 16 लीटर)	50% अधिकतम रू. 3,800/–	40% अधिकतम रू. 3,000/–
	(d) शक्ति चलित नेपसेक स्प्रेयर/पावर ऑपरेटेड ताइवान स्प्रेयर (क्षमता 16 लीटर से अधिक)	50% अधिकतम रू. 10,000/–	40% अधिकतम रू. 8,000/–
	(e) ट्रेक्टर माउन्टेट/ऑपरेटेड स्प्रेयर (20 बीएचपी से कम)	50% अधिकतम रू. 10,000/–	40% अधिकतम रू. 8,000/–
	(f) ट्रेक्टर माउन्टेट/ऑपरेटेड स्प्रेयर (35 बीएचपी से कम)	50% अधिकतम रू. 13,000/–	40% अधिकतम रू. 10,000/–
	(g) इकोफ्रेन्डली लाइट ट्रेप	50% अधिकतम रू. 1,400/–	40% अधिकतम रू. 1,200/–
	(h) ट्रेक्टर माउन्टेट/ऑपरेटेड स्प्रेयर (35 बीएचपी से अधिक)	50% अधिकतम रू. 63,000/–	40% अधिकतम रू. 50,000/–
	(i) इलेक्ट्रोस्टेटिक स्प्रेयर	50% अधिकतम रू. 63,000/–	40% अधिकतम रू. 50,000/–
12	एनीमल डिटरेंट बायो अक्स्टिक्स इक्विपमेंट (**Animal Deterrent Bioacoustics Equipment**)		
.	(i) सोलर ऑपरेटेड/इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड एनीमल **डिटरेंट बायो अक्स्टिक्स इक्विपमेंट** (विद सोलर पेनल) [Solar Operated / Electric operated Animal deterrent bioacoustics equipment (with solar panel)]	50% अधिकतम रू. 25,000/–	40% अधिकतम रू 20,000/–
	(ii) इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड एनीमल **डिटरेंट बायो अक्स्टिक्स इक्विपमेंट** (विदाउट सोलर पेनल) [Electric Operated Animal deterrent bioacoustics equipment (without solar panel)]	50% अधिकतम रू. 19,000/–	40% अधिकतम रू. 15,000/–
13.	**हाइड्रोपोनिक मशीन फॉर रेजिंग नर्सरी ऑफ क्रॉप्स (Hydroponic Machine for raising nursery of crops)**		
	सोलर ऑपरेटेड/इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड हाइड्रोपोनिक मशीन फॉर रेजिंग नर्सरी ऑफ क्रॉप्स [Solar Operated / Electric operated Hydroponic Machine for raising nursery of crops]	50% अधिकतम रू. 63,000/–	40% अधिकतम रू. 50,000/–